उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर (छ0ग0)

// निविदा – सूचना //

क्रमांक 960 /प्रोटोकॉल/2014–15 बिलासपुर, दिनांक 02/02/2015

उच्च न्यायालय छ0ग0 बिलासपुर की ओर से निर्माताओं तथा उनके अधिकृत विक्रेताओं से पुरूष एवं महिला हेतु चमड़े के जूते प्रदान करने हेतु मोहरबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा के साथ आयकर प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निविदा के संबंध में विस्तृत विवरण एवं अन्य जानकारी उच्च न्यायालय के वेबसाईट highcourt.cg.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।।

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	: 28.02.2015 समय : दोप0 3.00 बजे
निविदा खोलने की तिथि	: 28.02.2015 समय : शाम 4.00 बजे
स्थान	: रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय का कक्ष

रजिस्ट्रार जनरल

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर (छ0ग0)

<u>जूते कय किए जाने के संबंध में नियम तथा शर्तें :</u>

1. निविदा पत्र पूर्ण रूप से भरकर तथा लिफाफा सील करके लिफाफे के उपर निविदा इंक्वायरी कमांक, दिनांक / निविदा खुलने की तिथि/ निविदाकर्ता का पता लिफाफे के बॉयी ओर लिखा जावे । बिना सील लिफाफा अथवा सभी जोड़ों में सील अच्छी तरह से नहीं लगे होने पर निविदा निरस्त की जा सकती है ।

2. निविदा पत्र पूर्ण रूप से भरकर उच्च न्यायालय के आवक शाखा में जमा किया जावे अथवा पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट/ कोरियर के माध्यम से निम्नलिनखित पते पर भेजा जावें : –

रजिस्ट्रार जनरल,
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,
बिलासपुर (छ0ग0)

3. निविदा, अंतिम तिथि को शाम 4.00 बजे रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय में खोला जायेगा, जिसमें प्रदायकर्ता अथवा उसका प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

4. निविदा दो लिफाफे में प्रस्तुत किया जाये, एक लिफाफे में सुरक्षा निधि अथवा उससे छूट संबंधी प्रमाण पत्र तथा दूसरे लिफाफे में निविदा पत्र । सुरक्षा निधि वाले लिफाफा को पहले खोला जायेगा तथा पर्याप्त सुरक्षा निधि अथवा उससे छूट संबंधी प्रमाण पत्र होने पर ही दूसरे लिफाफा अर्थात निविदा पत्र वाले को खोला जाएगा अन्यथा निरस्त कर दिया जावेगा ।

5. सुरक्षा निधि के रूप में रू0 3150/– चालान के माध्यम से निम्न शीर्ष में जमा करना होगा – " 8443 –सिविल जमा राशियॉ 103–प्रतिभूति जमा " अथवा डिमांड ड्राफ्ट रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के नाम से हो, जमा करना होगा । सुरक्षा निधि सफल निविदाकार को रोककर शेष निविदाकार को खोलने की तिथि से 15 दिन के भीतर लौटा दी जावेगी ।

6. फर्म का रजिस्ट्रेशन वाणिज्यिक कर विभाग में होना आवश्यक है, रजिस्ट्रेशन होने का जीवित प्रमाण पत्र की छायाप्रति निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

7. फर्म द्वारा आयकर अदा कर दिया गया है एवं फर्म पर कोई आयकर बकाया नहीं है, इस आशय का आयकर समाशोधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

8. सभी सामानों को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के कार्यालय में पहुंचाकर देना होगा ।

9. सामान में जो भी कर (वैट टैक्स/एक्साइज ड्यूटी/सेल्स टैक्स) देय होगा, उसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे ।

10. सफल निविदाकर्ता को वेट टेक्स की राशि काटकर भुगतान किया जायेगा । वेट टेक्स कटौती किए जाने का प्रमाण पत्र दिया जायेगा ।

11. प्रदायकर्ता को जूते का प्रदर्शन भी निविदा खोलने के दौरान कर सकता है।

12. कुल 194 पुरूष एवं 16 महिलाओं के लिए जूता क्रय किया जाना प्रस्तावित है ।

13. निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को होगा ।

रजिस्ट्रार जनरल